भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 993

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कमी और उनकी कीमतों में वृद्धि

993. श्री के.सुधाकरन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के प्रभाव का, विशेषकर केरल के छोटे और सीमांत किसानों पर पड़े प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के संबंध में किसानों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) नाइट्रोजन और पोटैशियम के लिए आधार राजसहायता क्रमश: 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम और 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है, इस संबंध में सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) किसानों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना अथवा सहायता तंत्र के अनुसार कोई अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा दीर्घकालिक आधार पर स्थिर आपूर्ति, उचित मूल्य निर्धारण और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, सब्सिडी प्राप्त पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों अर्थात नाइट्रोजन(एन), फॉस्फोरस(पी), पोटेशियम(के) और सल्फर (एस) की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की

सब्सिडी उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरक विनियंत्रित हैं और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार यथोचित स्तर पर एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसकी सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। डीएपी को ₹1350 प्रति 50 किलोग्राम बोरी के लक्षित फार्म गेट मूल्य पर बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने खरीफ मौसम 2025 के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण हुए लाभ/नुकसान शामिल हैं, को सम्मिलित करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों के लिए प्रदान किया गया हैं और बाद में इन्हें रबी मौसम 2025-26 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इन प्रावधानों को आयातित ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) के लिए भी प्रदान किया गया है।

उत्पादन की लागत पर ध्यान दिए बिना, किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की प्रत्येक बोरी का सब्सिडीकृत एमआरपी 242 रुपए (नीम कोटिंग के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान केरल राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। केरल राज्य में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, यथानुपातिक आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक संबंधी डाटा (02.12.2025 तक) **अनुलग्नक** में दिया गया है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त/यथेष्ठ मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 05.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 993 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

केरल में रबी 2025-26 (02/12/2025 तक) की उर्वरक स्थिति						
						आंकड़े एलएमटी में
क्रम.सं.	उत्पाद	रबी 2025-26 हेतु आवश्यकता	01/10/2025 से 02/12/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/2025 से 02/12/2025 तक उपलब्धता	01/10/2025 से 02/12/2025 तक बिक्री	02/12/2025 को शेष स्टॉक
1	यूरिया	62,000	26,555	32,360	23,040	9,320
2	डीएपी	8,000	2,897	7,280	5,320	1,940
3	एमओपी	50,000	24,008	34,470	18,360	16,150
4	एनपीकेएस	61,000	29,124	53,700	29,400	24,360

****